

प्रारूप सात
(नियम 11 देखिये)

556/20
19/8/20

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क. 44 सन 1973) की धारा 27
के अधीन शासी निकाय की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता : एक्सटॉल शिक्षा समिति, 103 एक्सटॉल टॉवर रामभवन, बरखेड़ी भोपाल
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : भो.हो.स./3918/96, दिनांक 19/09/1996
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख : 20/06/2020
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची..... कार्यकाल की तारीख 20/6/2020 से तारीख 19/6/2023 तक



अनुक्रमांक	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्रीमती शीला भटनागर स्व. श्री आर.के. वर्मा	बी-299, शाहपुरा, भोपाल	अध्यक्ष	व्यापार	
2	श्री वीरेन्द्र भटनागर स्व. श्री आर.एस. भटनागर	104 राम भवन बरखेड़ी भोपाल	उपाध्यक्ष	व्यापार	
3	श्री गौरी शंकर शर्मा स्व. श्री राम स्वरूप शर्मा	205 गंगा जमना कॉम्प्लेक्स, लाल घाटी, चौराहा, भोपाल	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त	
4	श्री आदित्य भटनागर श्री जी.के. भटनागर	1/3 अमलतास कॉम्प्लेक्स शाहपुरा भोपाल	महामंत्री	व्यापार	
5	श्री एम. एस. यदुवंशी स्व. श्री प्यारेलाल यदुवंशी	1/1 अमलतास कॉम्प्लेक्स शाहपुरा भोपाल	मंत्री	सेवानिवृत्त	
6	श्री अभिनव भटनागर श्री जी.के. भटनागर	जागृत इंडिया फार्म, विराषा हाईट्स के पीछे कोलार रोड भोपाल	कोषाध्यक्ष	व्यापार	
7	श्री आर.सी. सक्सेना स्व. श्री मोहन लाल सक्सेना	ई-1/154, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	मंत्री	सेवानिवृत्त	
8	श्रीमति नीरजा वर्मा श्री बी. कुमार	104 राम भवन बरखेड़ी भोपाल	कार्य सदस्य	साहित्यकार एवं लेखिका	अनुपस्थित
9	श्रीमति शशी श्रीवास्तव श्री एम.के. श्रीवास्तव	ई.29 मीनाल रेसीडेंसी जे.के. रोड भोपाल	कार्य सदस्य	गृहिणी	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन ₹०००/- रुपये की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक SBIN000615314752906202073403..... दिनांक 29/06/2020 द्वारा जमा की गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।

घोषणा

मैं आदित्य भटनागर पुत्र/पुत्र/पत्नि श्री जी.के. भटनागर आयु. लगभग 44 वर्ष एक प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अघोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहा हूँ।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

नाम आदित्य भटनागर
(अध्यक्ष/सचिव) संघिय

18.08.2020
(एम. जे. कुरशी)
असि. रजिस्ट्रार
कर्मस एवं संस्थाएं
भोपाल-संसाधन विकास, भोपाल (म.प्र.)